अध्याय-10

विवादों का निपटारा

Chapter-X

Settlement of Disputes

58. विवाद जो माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किये जा सकेंगे— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबंध या कारबार के संबंध में :-

(क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों तथा सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की मार्फत दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच, या

(ख) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की मार्फत दावा करने वाले व्यक्ति और सोसाइटी, उसकी समिति या सोसाइटी के किसी अधिकारी, एजेन्ट या कर्मचारी के बीच, या

(ग) सोसाइटी या उसकी समिति और सोसाइटी की किसी भूतपूर्व समिति, किसी अधिकारी, एजेन्ट या कर्मचारी, या किसी भूतपूर्व अधिकारी, भूतपूर्व एजेन्ट या भूतपूर्व कर्मचारी या किसी मृत अधिकारी, मृत एजेन्ट या मृत कर्मचारी के नाम-निर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधियों के बीच, या

(घ) सोसाइटी और किसी अन्य सोसाइटी के बीच, या

(ङ) सोसाइटी और किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के, या सदस्य से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसे सोसाइटी द्वारा उधार दिया गया है या जिसके साथ सोसाइटी का धारा 52 के अधीन कोई संव्यवहार है या था, प्रतिभू के बीच, चाहे ऐसा कोई प्रतिभू किसी सोसाइटी का सदस्य हो या नहीं,

कोई विवाद उद्भूत हो तो ऐसा विवाद विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जावेगा और किसी भी न्यायालय को ऐसे विवाद के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाही गृहीत करने की अधिकारिता नहीं होगी:

परन्तु सोसाइटी और उसके कर्मचारियों के बीच ऐसे विवाद, जिनके लिए उपचार कर्मचारियों पर लागू सेवा विधियों के उपबंधों के अधीन उपलब्ध हैं, इस धारा के अधीन गृहीत नहीं किये जावेंगे।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विवाद भी किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार से संबंध रखने वाले विवाद समझे जावेंगे, अर्थात्:

(क) सोसाइटी द्वारा ऐसे किसी ऋण या मांग के लिए दावा, जो उसे किसी सदस्य या किसी मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा देय हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो या नहीं;

(ख) किसी प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी के विरुद्ध दावा, जहां सोसाइटी ने मूल ऋणी द्वारा उसे देय किसी ऋण या मांग के संबंध में, मूल ऋणी द्वारा उसे चुकाने में व्यतिक्रम करने के कारण, प्रतिभू से कोई रकम वसूल कर ली हो, चाहे ऐसा ऋण या मांग स्वीकार की गयी हो या नहीं;

(ग) ऐसा कोई विवाद जो सोसाइटी के किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में उद्भूत हो:

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई भी विवाद, निर्वाचन कार्यक्रम से प्रारम्भ होने वाली और परिणामों की घोषणा पर समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान गृहीत नहीं किया जावेगा।

(3) यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्भूत हो कि क्या इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट कोई विवाद किसी सहकारी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार से संबंध रखने वाला कोई विवाद है तो उस पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जावेगा।

58. Disputes which may be referred to arbitration.— (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, if any dispute touching the constitution, management, or the business of a co-operative society arises—

(a) among members, past members and persons claiming through members, past members and deceased members, or

(b) between a member, past member or a person claiming through a member, past member or deceased member and the society, its committee or any officer, agent or employee of the society, or

(c) between the society or its committee and any past committee, any officer, agent or employee, or any past officer, past agent or past employee or the nominee, heirs or legal representatives of any deceased officer, deceased agent or deceased employee of the society, or

(d) between the society and any other co-operative society, or

(e) between the society and the surety of a member, past member or a deceased member, or a person other than a member who has been granted a loan by the society or with whom the society has or had transaction under Section 52, whether such a surety is or is not a member of a society,

such dispute shall be referred to the Registrar for decision and no court shall have jurisdiction to entertain any suit or other proceeding in respect of such dispute:

Provided that such disputes between the society and its employees, for which a remedy is available under the provisions of the service laws applicable on the employees, shall not be entertained under this section.

(2) For the purpose of sub-section (1), the following disputes shall also be deemed to be the disputes touching the constitution, management or the business of a co-operative society, namely :—

(a) a claim by the society for any debt or demand due to it from a member or the nominee, heirs or legal representatives of a deceased member, whether such debt or demand be admitted or not;

(b) a claim by a surety against the principal debtor, where the society has recovered from the surety any amount in respect of any debt or demand due to it from the principal debtor as a result of the default of the principal debtor, whether such debt or demand is admitted or not;

(c) any dispute arising in connection with the election of any officer of the society:

Provided that no dispute under this clause shall be entertained during the period commencing from the announcement of election programme and ending on the

declaration of the results.

(3) If any question arises whether a dispute referred to the Registrar under this section is a dispute touching the constitution, management or the business of a co-operative society, the decision thereon of the Registrar shall be final and shall not be called in question in any court.

59. परिसीमा— (1) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में किये गये विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार को धारा 58 के अधीन निर्दिष्ट किसी विवाद की दशा में परिसीमा की कालावधि-

(क) जब विवाद किसी सोसाइटी को उसके किसी सदस्य द्वारा देय किसी राशि की, जिसमें उस पर लगने वाला ब्याज सम्मिलित है, वसूली के संबंध में हो तो, ऐसी तारीख से संगणित की जायेगी, जिसको ऐसे सदस्य की मृत्यु हो या वह सोसाइटी का सदस्य नहीं रहे;

(ख) जब विवाद किसी सोसाइटी या उसकी समिति, किसी भूतपूर्व समिति, किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या भूतपूर्व या वर्तमान एजेन्ट, या भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत एजेन्ट या मृत सेवक के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के या किसी मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच हो या दो सहकारी सोसाइटियों के बीच हो और जब विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार के किसी कार्य या लोप के संबंध में हो तो, ऐसी तारीख से छह वर्ष की होगी जिसको विवादग्रस्त कार्य या लोप हुआ था;

(ग) जब विवाद ऐसी किसी सोसाइटी, जिसके परिसमापन के आदेश धारा 61 के अधीन दिये गये हैं, या जिसके संबंध में धारा 30 के अधीन कोई प्रशासक नियुक्त किया गया है, के गठन, प्रबंध या कारबार संबंधी किसी मामले के बारे में हो तो, ऐसी तारीख से छह वर्ष की होगी जिसको धारा 61 या, यथास्थिति, धारा 30 के अधीन, उक्त आदेश जारी किया गया;

(घ) जब विवाद, सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन के संबंध में हो तो ऐसी तारीख से एक मास की होगी जिसको निर्वाचन का परिणाम घोषित किया गया।

(2) पूर्वगामी उप-धारा में वर्णित विवादों को छोड़कर ऐसे किन्हीं अन्य विवादों की दशा में, जिन्हें धारा 58 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, परिसीमा की कालावधि, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के उपबंधों द्वारा इस प्रकार विनियमित होगी मानो वह विवाद कोई वाद हो और रजिस्ट्रार कोई सिविल न्यायालय हो।

(3) उप-धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी विवाद को परिसीमा की कालावधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा यदि आवेदक, रजिस्ट्रार का यह समाधान कर दे कि उसके पास विवाद को ऐसी कालावधि के भीतर निर्देशित नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

59. Limitation.— (1) Notwithstanding anything contained in the Limitation Act, 1963 (Central Act 36 of 1963), but subject to the specific provisions made in this Act, the period of limitation in the case of a dispute referred to the Registrar under Section 58 shall,—

(a) when the dispute relates to the recovery of any sum, including interest thereon, due to a society by a member thereof, be computed from the date on which such member dies or ceases to be a member of the society;

(b) when the dispute is between a society or its committee, any past committee, any past or present officer, or past or present agent, or past or present servant or the nominee, heir or legal representative of a deceased officer, deceased agent or deceased servant of the society, or a member, or past member, or the nominee, heir or legal representative of a deceased member or between two co-operative societies and when the dispute relates to any act or omission on the part of either party to the dispute, be six years from the date on which the act or omission with reference to which the dispute arose took place;

(c) when the dispute is in respect of any matter touching the constitution, management or business of a society which has been ordered to be wound up under section 61, or in respect of which an administrator has been appointed under section 30, be six years from the date of the order issued under Section 61, or section 30, as the case may be;

(d) when the dispute is in respect of an election of an office-bearer of the society, be one month from the date of the declaration of the result of the election.

(2) The period of limitation in the case of any other dispute except those

mentioned in the forgoing sub-sections, which are required to be referred to the Registrar under section 58 shall be regulated by the provisions of the Limitation Act, 1963 (Central Act 36 of 1963), as if the dispute were a suit, and the Registrar a civil court.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Registrar may admit a dispute after the expiry of the limitation period, if the applicant satisfies the Registrar that he had sufficient cause for not referring the dispute within such period.

60. विवादों का माध्यस्थम् को निर्देश— (1) रजिस्ट्रार विवाद का जो धारा-58 के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर,—

(क) विवाद का स्वयं विनिश्चय कर सकेगा, या

(ख) उसे निपटारे के लिए ऐसे व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगा जिसमें सरकार द्वारा इस निमित्त शक्तियाँ विनिहित की गयी हों, या

(ग) उसे निपटारे के लिए किसी मध्यस्थ को जो उसके लिये विहित पात्रता रखता हो, निर्देशित कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, उपधारा (1) के अधीन निपटारे के लिए अन्तरित या निर्दिष्ट किसी भी निर्देश को वापस ले सकेगा और या तो उसका विनिश्चय स्वयं कर सकेगा या उसे उक्त उप-धारा के खण्ड (ख) या (ग) में उल्लिखित अन्य व्यक्ति या मध्यस्थ को निपटारे हेतु पुनः अन्तरित या निर्दिष्ट कर सकेगा यदि वह व्यक्ति या मध्यस्थ, जिसे विवाद प्रथमतः अन्तरित या निर्दिष्ट किया गया था-

(i) मर जाता है, पद त्याग देता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है; या

(ii) कार्य करने में असमर्थ हो गया है या उसके विरुद्ध अवचार या भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है; या

(iii) कार्य करने में उपेक्षा करता है या करने से इंकार करता है।

(3) रजिस्ट्रार या ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन कोई विवाद विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाये, विवाद का विनिश्चय न होने तक, ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो वह न्याय के हित में आवश्यक समझे।

60. Reference of disputes to arbitration.— (1) The Registrar may, on receipt of the reference of a dispute under section 58, —

(a) decide the dispute himself, or

(b) transfer it for disposal to any person who has been invested by the Government with powers in that behalf, or

(c) refer it for disposal to an arbitrator having the eligibility, prescribed therefor.

(2) The Registrar may withdraw any reference transferred or referred for disposal under sub-section (1) and either decide it himself or transfer or refer it again for disposal to another person or arbitrator mentioned in clause (b) or (c) of that sub-section, if the person or arbitrator, to whom the dispute was first transferred or referred,-

(i) dies, resigns or is transferred; or

(ii) has become incapable of acting or against whom a complaint has been received regarding his misconduct or corruption; or

(iii) neglects or refuses to act.

(3) The Registrar or any other person to whom a dispute is referred for decision under this section may, pending the decision of the dispute, make such interlocutory orders as he may deem necessary in the interest of justice.

❑ ❑